28-6-2017	पत्रावली आज कैम्प न्याय आपके द्वार-2017 कैम्प शिविर में दिनांक 28-6-2017 को प्रस्तुत हुई। निर्णय अलग से लिखा जाकर प्रार्थी पक्षकारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर 6 पर दर्ज हो। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा.	प्रियंका - उपस्थित मुकेश कुमार - उपस्थित

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2017 केम्प रीछड़ा

पीठासीन अधिकारी : राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 13/2017

उनवान

1– श्रीमती प्रियंका पत्नि दौलत कुमार चपलोत, निवासी–सुवाणा, तहसील व जिला –भीलवाड़ा।

–वादीया

बनाम

1– श्री सुशील कुमार पिता भंवर चपलोत, निवासी–सुवाणा, निवासी–सुवाणा, तहसील व जिला –भीलवाड़ा।

2– सरपंच, ग्राम पंचायतत, सुवाणा, तहसील व जिला–भीलवाड़ा।

3– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा

–प्रतिवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 28.06.2017

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सुवाणा, पटवार हल्का सुवाणा में आराजी नं. 3933/7 रकबा 0–10 बीघा वादीया के खातेदारी अधिकार से राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। वादीया ने उक्त आराजी में से दक्षिण की तरफ भूमि 00–04–09 बीघा को दिनांक 10.03.2015 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के प्रतिवादी सं. 1 को विक्रय की गई। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने नामान्तरकरण खोलते समय विक्रय दस्तावेजों पर ध्यान नहीं दिया तथा गलत तरीके से प्रतिवादी सं. 1 को संपूर्ण भूमि का खरीददार बताकर उनका नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया जो पूर्णतया गलत है। प्रतिवादी संख्या 3 ने भी दस्तावेजों की जांच किये बगैर नामान्तरकरण की पुष्टि की जो गलत है। इस प्रकार नामान्तकरण संख्या 4448 दिनांक 20.03.2015 गलत तरीके से खोला गया है, जो नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः नामान्तरकरण संख्या 4448 को निरस्त फरमा कर रजिस्ट्री के आधार पर आराजी नं. 3933/7 में से रकबा 00–04–09 बीघा प्रतिवादी सं. 1 के राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे तथा शेष आराजियात वादिया के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावें।

प्रतिवादी संख्या 1 ने भी अपील का जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम सुवाणा की आराजी नं. 3933/7 रकबा 0–10 बीघा में से 00–04–09 बीघा दिनांक 10.3.2015 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पर क्रय की गई। विक्रय पत्र में भी 00–04–09 बीघा का अंकन किया गया किन्तु विक्रय पत्र पर ध्यान नहीं देते हुये पूरी आराजी पर मेरा नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित किया जबकि मेरे राजस्व रेकार्ड में 00–04–09 बीघा भूमि ही आनी चाहिये। नामान्तकरण को निरस्त कर विक्रय अनुसार मेरे खाते में 00–04–09 बीघा भूमि दर्ज की जावे। मुझे कोई आपत्ति व ऐतराज नहीं है।

वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं प्रतिवादी सं.1 के जवाब का अवलोकन किया गया। ग्राम सुवाणा की जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 में आराजी नं. 3933/7 रकबा 0–10 बीघा वादीया के नाम दर्ज होकर ना.सं. 4448 दिनांक 20.03.2015 विक्रय से प्रियंका पत्नि दौलत कुमार चपलोत के बजाय सुशील कुमार पिता भंवरलाल चपलोत निवासी सुवाणा के नाम दर्ज करने की स्वीकृति का दाखला लगा हुआ है। विक्रय पत्र दिनांक 10.3.2015 के अवलोकन से पाया गया कि ग्राम सुवाणा की आराजी नं. 3933/7 रकबा 0–10 बीघा में से दक्षिण तरफ की भूमि रकबा 00–04–09 बीघा को मेरपाली दरख्तान एवं समस्त हक हकुको सहित श्रीमती प्रियंका चपलोत द्वारा विक्रय कर श्री सुशील कुमार चपलोत (प्रतिवादी सं. 1) के पक्ष लिखा गया। नामान्तकरण के द्वारा ग्राम सुवाणा की आराजी नं. 3933/7 रकबा 0–10 बीघा सुशील कुमार पिता भंवर लाल चपलोत के नाम दर्ज कर जमाबंदी में इसका दाखला लगाया गया। जबकि वादियां द्वारा विक्रय पत्र के द्वारा ग्राम सुवाणा की आराजी नं. 3933/7 में से रकबा 00–04–09 बीघा विक्रय किया गया। शेष भूमि वादिया के नाम दर्ज रहनी चाहिये थी। इस प्रकार ग्राम सुवाणा के नामान्तकरण संख्या 4448 दिनांक 20.03.2015 निरस्त योग्य होकर अपील स्वीकार की जाती है।

आदेश

वादीया की अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सुवाणा, पटवार हल्का सुवाणा के नामान्तकरण संख्या 4448 निर्णय दिनांक 20.3.2015 को निरस्त किया जाता है । तहसीलदार भीलवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि विक्रय पत्र अनुसार ग्राम सुवाणा, पटवार हल्का सुवाणा की आराजी नं. 3933/7 रकबा 0–10 बीघा भूमि में से केता श्री सुशील कुमार पिता भंवर लाल चपलोत, निवासी–सुवाणा के नाम 00–04–09 बीघा दक्षिण दिशा की तरफ की भूमि एवं शेष भूमि श्रीमती प्रियंका पत्नि दौलत कुमार चपलोत निवासी–सुवाणा के नाम नामान्तकरण की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2017को केम्प रीछड़ा में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलेक्टर भीलवाड़ा